तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रभुदयाल बनाम महादेव [illegible] 1/6/2021	
30.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण के बंटवारें से सम्बन्धित होने से न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमती व्यक्त करते हुए आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री अनुसार ही अन्तिम डिक्री जारी की जाने हेतु हम दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होने एंव प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री अनुसार दोनों पक्ष मौके पर जमीन सम्भालकर अधिक भूमि होने पर एक दूसरे की जमीन छोड़ने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए वकील वादी एंव वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	P.D के अनुसार यदि F.D की जावे तो हम दोनों पक्षों से कोई आपत्ती नहीं है व P.D व F.D अनुसार दोनों पक्ष मौके पर जमीन सम्भालकर अधिक भूमि होने पर एक दूसरे को छोड़ना भी मंजूर है। प्रतिवादी महादेव [illegible] (आर्यन्द्र स्वामी)
22.12.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पक्षकारान डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.01.10 12:17:58 IST Reason: SelfAttested 22/12/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	प्रभुदयाल (वादी) पहिचानकर्ता [illegible] मक्खन लाल यादव प्रतिवादी नं. 4 के पुत्र मोहनलाल यादव (वादी के पुत्र)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
146/2021	2021/254	23.12.2021	22.12.2022 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

प्रभुदयाल पुत्र नारायण आयु 65 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी पाट्यावाली तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादी —

बनाम्

1. महादेव पुत्र नारायण आयु 75 वर्ष
2. रामोतार पुत्र महादेव आयु 32 वर्ष
3. बनारसी देवी पत्नी महादेव आयु 70 वर्ष
4. निधि पत्नी मक्खनलाल आयु 30 वर्ष

   समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी पाट्यावाली तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. पटवारी, पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. उपपंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर राज0
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
8. मैनेजर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड टोंक शाखा अजीतगढ़
9. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

श्री कमल कुमार [illegible]
श्री अरविन्द कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी [illegible] अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से

22/12/22

दिलीप सिंह
सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक)
[illegible]

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/2 रकबा 0.19 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर, पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके हिस्से 11/19 का वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं व हिस्सा 8/19 का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 159 (कुंआ) रकबा 0.05 हैक्टर गैं.मु.चाह तन् ग्राम पीथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित हैं। जिसके हिस्से 1/4 का वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं व हिस्सा 3/4 का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.15 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित हैं। जिसके हिस्से 2/3 का वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं व हिस्सा 1/3 का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। वादपत्र की उक्त वर्णित भूमियों का हिस्सा क्रमश :– 11/9, 1/4, 2/3 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 14.08.2015 को उपपंजीयक कार्यालय अजीतगढ़ में पंजीबद्ध करवाकर मौके पर वरवक्त विक्रय लेख खरीदशुदा भूमियों के हिस्सा पश्चिमी तरफ का मौके पर कब्जा वास्तविक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को सम्भला दिया गया था तब से वादी अपनी खरीदशुदा भूमियों के अपने हिस्से पश्चिमी तरफ में [illegible] काबिज काश्त व आबाद चला आ रहा हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व में दिनांक 15.07.2015 को अपने नाम दर्ज भूमियों का बंटवारा पंजीबद्ध कराया था। उक्त बंटवारे में वादी को पश्चिमी तरफ की भूमियां मौके पर बंटवारे में सम्भलायी गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

थी। उसी के अनुरूप प्रतिवादी [illegible] दिनांक 14.08.2015 को विक्रय की गयी भूमियों का हिस्सा पश्चिमी तरफ का ही मौके पर वादी को कब्जा सम्भलाया गया था। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 कुछ समय से वादी व उसके परिवारजन से अकारण रंजिश रखने लग गये है तथा येन केन प्रकारेण वादी को अपनी खरीदशुदा भूमि व कब्जेशुदा भूमि पर कानून को हाथ मे लेकर बैजा हरकते करते हैं तथा ये लोग वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में आये दिन दखलन्दाजी करने को तत्पर रहते है। उक्त वर्णित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां दर्ज हैं जिनका कानूनी रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है। इसी का नाजायज फायदा उठाने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण जो कि सभी एक ही परिवार के सदस्य है जो कि वादी को हैरान व परेशान आये दिन करते हैं। प्रतिवादीगण जबरन संयुक्त खातेदारी की भूमियों पर बिना विधिक बंटवारा कराये जबरन निर्माण आदि कर भूमि खसरा नम्बर 159 सम्पूर्ण को अकेले चार दिवारी पुख्ता इण्डा आदि निर्माण कर इसके साथ ही अन्य भूमियों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है बल्कि मौके पर वादी अपने नाम दर्ज खातेदारी अनुसार मौके पर पूर्णतया काबिज हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 159 के अपने हिस्से पर वादी ने अपने पशुधन वगैरह बांधकर बाड़ के रूप में काम लेता आ रहा है। प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियों को जो कि संयुक्त खातेदारी की भूमिया है। उन्हें बिना विधिक बंटवारा कराये जबरन निर्माण आदि करने व अन्य किसी भी तरीके से खुर्द–बुर्द आदि करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं हैं। उक्त गलत व अवैध कार्यवाही को वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं। दिनांक 15.12.2021 को सभी प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र की उक्त वर्णित भूमियों को दीगर भूमाफिया [illegible] दान कर वादी के कब्जे काश्त व पशुधन आदि के काम में ली जा रही भूमि को दीगर भूमाफिया लोगों को अन्तरण कर जबरन कब्जा करवाकर वादी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की एहलानियां धमकी प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी हैं व कहने व समझाने से प्रतिवादीगण [illegible] रहे है। इसी कारण वादी को यह वादपत्र न्यायालय हाजा मे पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.12.2021 को वादपत्र की उक्त वर्णित भूमियों को दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:19:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक)
[illegible] (बीकानेर)

भूमाफिया आदि लोगों को बैचान आदि कर वादी के कब्जे काश्त व पशुधन आदि के काम में ली जा रही भूमि को दीगर भूमाफियां लोगों को अन्तरण कर जबरन कब्जा करवाकर वादी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की एहलानिया धमकी देने के कारण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 के यहां भूमि रहन होने से उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। बंटवारे की डिक्री इस आशय की पारित की जावें कि तन् ग्राम पीथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान भूमि खसरा नम्बर 161/2 रकबा 0.19 हैक्टर में वादी का हिस्सा 11/19 अर्थात 0.11 हैक्टर पश्चिमी तरफ का व खसरा नम्बर 159 रकबा 0.05 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/4 अर्थात 125 वर्गमीटर पश्चिमी तरफ का व खसरा नम्बर 160 रकबा 0.15 हैक्टर में वादी का हिस्सा 2/3 अर्थात 0.10 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की उक्त सभी भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी के नाम उपरोक्त भूमियों का बंटवार अनुसार [illegible] से बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शे में तरमीम करायी जाकर वादी का लगान भी अलग कायम कराया जावे। कानूनी बंटवारा करवाना वादी का अधिकार है। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 की ओर से श्री अरविन्द कुमार शर्मा एडवोंकेट उपस्थित आये एंव जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 के मध्य विधिक विभाजन कार्यवाही करने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

22/1/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करते हुए वकुलाय उभय पक्षकारान् ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर स्थित कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.05.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.05.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 8057/रीडर/2022 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 2761/भू.अ./2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने प्रकरण [illegible] पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से तथा कब्जे काश्त अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव

24/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी के सहमत होने से एंव वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिकी अनुसार यदि अन्तिम डिकी जारी की जाने हेतु हम दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होने एंव प्रारम्भिक डिकी व अन्तिम डिकी अनुसार दोनों पक्ष मौके पर जमीन सम्भालकर अधिक भूमि होने पर एक दूसरे की जमीन छोड़ने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए वकील वादी एंव वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी व पक्षकारान् की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिकी जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 01.11.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खातेदारान् का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	प्रभूदयाल पुत्र नारायण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 टोंक शाखा अजीतगढ़	159/1 160/1 161/2	0.0125 0.10 0.11	गै0मु0 चाह बारानी 3 चाही 3	— 0.20 1.65
		किता 3	0.2225		1.85
02	महादेव पुत्र नारायण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन PNB बैंक शाखा हरदास का बास	159/2 160/2 161/3	0.0375 0.05 0.08	गै0मु0 चाह बारानी 3 चाही 3	— 0.10 1.20
		किता 3	0.1675		1.30

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2761/भू.अ./22 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्राप्त [illegible] प्रस्ताव व इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested